न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10 / 20 प्रार्थना पत्र

श्री जागर पिता मोती जी मीणा, उम्र वयस्क, निवासी–निचला चोटीया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..................प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोती पिता पदमा मीणा, उम्र बालिग
2. श्री कालु पिता मोती मीणा, उम्र बालिग
3. श्री वालुराम पिता मोती मीणा, उम्र बालिग
4. श्री लिम्बा पिता पदमा मीणा, उम्र बालिग

सर्व निवासियान– निचला चोटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित

निर्णय

दिनांक : ~~22.07.2021~~ 15.09.21

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रकरण में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि राजस्व ग्राम निचला चोटीया, पटवार मण्डल परमदा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में आराजी संख्या 108, 188, 232, 344 / 109 किता 4 रकबा 0.2700 हेक्टयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी होकर प्रार्थी एवं विपक्षी सख्या दो एवं तीन के दादा पदमा जी के खातेदारी की होकर पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या दो व तीन का जन्म से ही हक अधिकार है। वादग्रस्त उक्त आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक से तीन का का सयुंक्त रूप से 1 / 2 हिस्सा है तथा विपक्षी संख्या चार का 1 / 2 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर संयुक्त रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार पदमा जी की मृत्यु के बा[illegible] से 1 / 2 हिस्सा अकेले विपक्षी संख्या एक के नाम [illegible] विपक्षी संख्या एक इसका फायदा उठाते हुए उक्त भू[illegible] मोहनी मीणा, निवासी निचला चोटीया को बेचने पर उतारू है। विपक्षी संख[illegible]क [illegible] में भी कुछ हिस्सा अन्य लोगों को इकरार से बेच दिया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[illegible]

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षी संख्या एक को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि पदमा जी के 1/2 हिस्से की भूमि जो विरासत से गलत रूप से उसके नाम पर राजस्व खाते में दर्ज हो गई है उसे ताफैसला मूल वाद किसी भी दीगर पक्ष को विक्रय नहीं करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे तथा ताफैसला वाद तक उक्त वर्णित 1/2 हिस्से की भूमि की यथावत स्थित बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। विपक्षीगण को जवाब हेतु समुचित अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर विपक्षीगण के जवाब अवसर बंद किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रार्थी विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी की जमीन है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी जमीन है और नहीं ही प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:31 IST
Reason: SelfAttested